③ -17- -227- पत्रावली 2011-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक:-प-14(3)जविप्रा/संस्था/11 पार्ट-I दिनांक 9.5.12

: सूचना :

अचल सम्पति विवरण सार्वजनिक करने बाबत प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक(क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक:-प-13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 18.07.2011 में राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था:-

1. राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण उप शासन सचिव, कार्मिक(क-1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जावे।
2. अधिनस्थ सेवाओं के सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत किया जावे।
3. निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सभी राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों(जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावे।

अतः कार्मिक(क-1)/(गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 31.01.2012(छाया प्रति संलग्न) अनुसार बिन्दु संख्या-1 व 2 के अधिकारी निर्देशानुसार अपनी अचल सम्पति का विवरण संबंधित कार्यालय/विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे तथा बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत आने वाले प्राधिकरण सेवा के अधिकारी अचल सम्पति का विवरण अविलम्ब उपायुक्त-जांच(गोपनीय प्रतिवेदन प्रकोष्ठ), जविप्रा को प्रस्तुत कर उसका पृष्ठांकन उपायुक्त(प्रशासन) को प्रस्तुत करें।

PA. 3029 9/5/12

अति.आयुक्त(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(अभियांत्रिकी-I/II/आयोजना/विधि/वित्त), जविप्रा, जयपुर।
5. अति.आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पुनर्वास/एलपीसी/भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त(संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(बीपीसी/एम.पी-प्रथम/द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
9. मुख्य नियंत्रक(प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
10. समस्त अधीक्षण अभियंतागण-I/II/III/IV/V/VI, जविप्रा, जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक- I/II/III/IV/V, जविप्रा, जयपुर।
12. अति.निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
13. विशेषाधिकारी(जन सम्पर्क/आर.एम.), जविप्रा, जयपुर।
14. समस्त उपायुक्तगण जोन-1 से 15/वाहन/स्टोर/प्रशासन/रेकार्ड/पीआरएन, जविप्रा, जयपुर।
15. उपायुक्त(जांच), जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अचल सम्पति के विवरण की सूचना कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 18.07.2011 एवं 31.01.2012 की पालना में उन्हें भिजवाये तथा राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में यह सूचना सिस्टम एनालिस्ट के माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक करावें।
16. उप निदेशक(प्रोजेक्ट एवं आडिट/व्यय एवं बजट), जविप्रा, जयपुर।
17. संयुक्त पंजीयक(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
18. समस्त अधिशाषी अभियंतागण........., जविप्रा, जयपुर।
19. प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपायुक्त(जांच) द्वारा प्रेषित उक्त सूचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक करावें।
21. लेखाधिकारी(भुगतान/पेंशन), जविप्रा, जयपुर।
22. उपापंजिक, जविप्रा, जयपुर।
23. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
24. समस्त प्रकोष्ठाधिकारी ...., जविप्रा, जयपुर।
25. नोटिस बोर्ड ।
26. रक्षी पत्रावली।

उपायुक्त(प्रशासन)

Desp. 09-5-12

(7) 18

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011

जयपुर दिनांक
31 JAN 2012

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव / उप शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

विषय:– अचल सम्पति विवरण सार्वजनिक करने बाबत ।

महोदय

मैं आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का/क–1/गा.प्र./2011 दिनांक 14.01.2011, एवं 17.5.2011 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिनके द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की वर्ष 2010 के लिए (1.1.2011 की स्थिति में) एवं इसके पश्चातवर्ती वर्षो को अचल सम्पति विवरण सार्वजनिक किए जाने का निर्णय लिया गया था । जो अधिकारी अपने अचल सम्पति विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करेगें उनको विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दिये जाने एवं पदोन्नति, एम्पेनलमेंट पर विचार नहीं किये जाने साथ ही ऐसी अचल सम्पति का वर्तमान मूल्य उस अवधि में प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर संगणित किये जाने तथा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

राज्य सेवा अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण जो निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होंगे उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा सार्वजनिक किया जावेगा तथा अधिनस्थ सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा तथा निगम, बोर्ड, सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों को सम्बन्धित निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक किए जायेंगें ।

अधिकांश राज्यसेवा अधिकारियों के वर्ष 2010 के लिए (01.01.2011 की स्थिति में) अचल सम्पति विवरण प्राप्त हो गये हैं परन्तु कुछ राज्यसेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किए है, उन्हें प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।

साथ ही अनुरोध है कि आपके विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यरत राज्यसेवा अधिकारियों, अधिनस्थ सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियो एव अधिनस्थ कार्यालय/निगम बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं तथा राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों को वर्ष 2011 के लिए (01.01.2012 की स्थिति मे) अचल सम्पति विवरण दिनांक 29.02.2012 तक पृष्ठ भाग पर अंकित सम्पति विवरण प्रपत्र में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

23. जन सम्पर्क अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
24. समस्त प्रकोष्ठाधिकारी ...., शासन सचिवालय, जयपुर।